न्यायालय,

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर

अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 2878 / 2022

सनोखर थाना काण्ड सं0–127 / 2021

धारा– 498ए, / 34 भा0द0वि0 एवं 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

1. मास्टर खुर्शीद अंसारी उर्फ मो0 खुर्शीद आलम पे0 स्व0 अबुल अंसारी
2. मो0 अमजद अंसारी उर्फ असजद आलम पे0 मो0 खुर्शीद आलम
3. बीबी पुमेरा खातून पति मो0 असजद आलम उर्फ मो0 अमजद अंसारी
सा0 चांचे, थाना सनोखर, जिला भागलपुर
4. मो0 अकरम अंसारी उर्फ मो0 अकरम पे0 ईशाक अंसारी उर्फ मो0 ईशाक
सा0 कैथा टीकर, थाना बरहट, जिला भागलपुर.....आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री सतेन्द्र झा
अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक– श्री बिन्देश्वरी लाल यादव

आदेश

दिनांक–23.01.2023

आवेदक / अभियुक्त 1. मास्टर खुर्शीद अंसारी उर्फ मो0 खुर्शीद आलम, 2. मो0 अमजद अंसारी उर्फ असजद आलम 3. बीबी पुमेरा खातून एवं 4. मो0 अकरम अंसारी उर्फ मो0 अकरम की ओर से गिरफतारी की आशंका को देखते हुए दिनांक 11.11.2022 को दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इन्होंने अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1932 / 21 दाखिल किया था, जो पोषणीय नहीं होने के कारण दिनांक 03.12.2021 को निष्पादित किया गया, उसके बाद इन्होंने कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया है। सूचिका बीबी साबरीन के लिखित आवेदन के आधार पर सनोखर थाना काण्ड सं0–127 / 2021 दिनांक 06.08.2021 को दफा 498ए, / 34 भा0द0वि0 एवं 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अंकित किया गया है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक सं0–1, 2, 3 एवं 4 क्रमशः सूचिका के ससुर, भसुर, गोतिनी एवं ननदोसी हैं। सूचिका के पति मो0 वकार युनुस को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस नं0 5732 / 2022 में दिनांक 23.06.2022 को जमानत दिया गया है। आवेदकगण पर कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। सूचिका केवल गलत रूप से कमाने के उद्देश्य से पुलिस से इन लोगों का नाम इस केस में दिया है। आवेदकगण का सूचिका और उसके पति से कोई संबंध नहीं है। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

दो अभियुक्त महिला हैं। आवेदकगण न्यायालय के किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार है। इसलि जमानत दिया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उपर्युक्त अग्रिम जमानत आवेदन पत्र पर उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे मैं पाता हूँ कि सूचिका बीबी साबरीन के लिखित आवेदन के आधार पर सनोखर थाना काण्ड सं0 127/2021 दिनांक 06.08.2021 को दफा 498ए/34 भा0द0वि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम में अंकित किया गया है। सूचिका का आरोप है कि इनकी शादी दिनांक 04.05.2018 को चांचे निवासी मो0 वकार युनुस से हुई। शादी के बाद से हीं इनके पति का इनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रह रहा था तथा इनसे हमेशा कटुवचन एवं मारपीट पर उतारू हो जाने वाले व्यवहार करते रहे। इन्हें तब से हीं प्रताड़ित एवं मारपीट करते हैं। इनके पिता अपनी हैसियत के मुताबिक उपहार स्वरूप शादी में मारूती अल्टो 800 कार तथा शादी खर्च के लिए चार लाख रूपये भी दिये थे। इसके बाद भी इनके पति के बड़े भाई मो0 अमजद अंसारी, उनकी पत्नी बीबी फुमेरा खातुन एवं इनके ससुर मास्टर खुर्शीद अंसारी व इनके ननदौसी मो0 अकरम अंसारी सभी मिल बैठकर आपसी सलाह कर इन्हें प्रताड़ित करवाते हैं। इनके पति के द्वारा इन्हें कहलवाते हैं कि पांच लाख रूपये एवं मारूती अल्टो कार के बदले स्वीफ्ट डिजायर गाड़ी मायके से दिलवाओ तभी तुम यहां सही सलामत रह पाओगी। अभियोजन के द्वारा केस दैनिकी भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कंडिका 2 में वादिनी का पुनः बयान लिया गया है। कंडिका 3,4,5 एवं 9 में साक्षियों ने अपना बयान दिया है और घटना का पूर्ण समर्थन किया है। कंडिका 28 में प्राथमिकी अभियुक्त मास्टर मो0 खुर्शीद अंसारी, मो0 अमजद अंसारी, फुमेरा खातुन, मो0 अकरम अंसारी को अनुसंधानकर्ता के द्वारा धारा 41(1) द0प्र0सं0 के अंतर्गत गिरफतारी से लाभ दिया गया है, लेकिन इन्हें इसलिए लाभ नहीं दिया गया क्योंकि आरोप था कि इन्होंने शादी के बाद से हीं इनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते थे और कटू वचन एवं मारपीट पर उतारू हो जाने वाले व्यवहार करते थे। जबकि सूचिका के पिता ने उपहार स्वरूप शादी में मारूती ऑल्टो कार तथा शादी खर्च के लिए चार लाख रूपया भी दिया था। साथ हीं सूचिका के द्वारा आरोप लगाया गया हे कि उनके परिवार वाले मिलकर इनके पति से कहलवाते थे कि पांच लाख रूपया एवं मारूती कार के बदले स्वीफ्ट डिजायर गाड़ी मायके से दिलवाओ तभी सलामत रह पाओगी। विधि की मान्यता है कि जब पत्नी की शादी होती है उसकी पूर्ण जिम्मेवारी उसके पति पर हीं होती है। लेकिन उसके बावजूद इनके द्वारा दहेज के रूप में पांच लाख रूपया और मारूती कार के बदले स्वीफ्ट डिजायर की मांग की जा रही थी और आरोप सूचिका ने अपने पति पर हीं लगाया है। इस वाद में आवेदकगण सूचिका के ससुर, भैसुर, गोतिनी एवं ननदोसी हैं और इन्हें पुलिस के द्वारा पूर्व में ही धारा 41(ए) द. प्र. सं. के अन्तर्गत गिरफ्तारी से लाभ दिया जा चुका है। अभियुक्तगण के द्वारा जमानत का दुरुपयोग करने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। इस वाद के मुख्य अभियुक्त अर्थात सूचिका के पति को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा किमिनल मिसलेनियस नं0 5732/2022 में दिनांक 23.06.2022 को जमानत दिया गया है। ये आवेदकगण सूचिका के रिश्तेदार हैं और रिश्तेदार होने के नाते उनका नाम इस केस में दिया

गया है। इसलिए उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक अभियुक्तगण **1. मास्टर खुर्शीद अंसारी उर्फ मो0 खुर्शीद आलम, 2. मो0 अमजद अंसारी उर्फ असजद आलम 3. बीबी पुमेरा खातून एवं 4. मो0 अकरम अंसारी उर्फ मो0 अकरम** को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति की तिथि से तीन सप्ताह के अंदर गिरफ्तार होकर लाने या न्यायालय में उपस्थित होने पर मो0 10,000/– रूपया के दो प्रतिभु के बंधपत्र दाखिल करने एवं दफा 438(2) द0प्र0सं0 का पालन करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भागलपुर